उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4
संख्या-515/2025/1165/25-27-सिं0-4-145 (डब्ल्यू)/1994 टी0सी0 -क0न0-1181419
लखनऊः दिनांकः 10 नवम्बर, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विश्व बैंक के Project Appraisal Document (PAD) में State Level Steering Committee (SLSC) के गठन हेतु निम्नवत व्यवस्था की गयी है :-

''The Borrower shall ensure that each Project implementing Entity (PIE) shall establish, and thereafter maintain throughout Project implementation/have in place its respective State-level Steering Committee to provide oversight of the Project as a whole and on dam safety assurance and rehabilitation at the State level, with composition, resources, terms of reference, experience, and qualifications, acceptable to the Bank.''

2. उक्त के क्रम में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारम्भ की गयी विश्व बैंक वित्त पोषित डैम रिहैबिलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (DRIP) फेज-2 एवं फेज-3 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-230/2022/1248/22-27-सिं-4-145 (डब्ल्यू)/1994 टी.सी. दिनांक 01.08.2022 (संलग्नक-1) द्वारा प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय State Level Steering Committee (SLSC) गठित है।

3. बाँध सुरक्षा अधिनियम-2021 के अध्याय-V धारा-14 के अन्तर्गत बाँध की विफलता से सम्बन्धित आपदा की रोकथाम के लिए राज्य में बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन एवं रख-रखाव को सुनिश्चित किये जाने हेतु उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-96/2023/579/23-27-सिं-4-123 (डब्ल्यू) परि/2021 दिनांक 15.02.2023 द्वारा संशोधित राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-97/2023/578/23-27-सिं-4-123 (डब्ल्यू) परि/ 2021 दिनांक 15.02.2023 द्वारा संशोधित स्टेट प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (SPMU) का गठन किया गया है। अतएव संशोधित राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) एवं स्टेट प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (SPMU) के गठित हो जाने के फलस्वरूप विश्व बैंक वित्त पोषित डैम रिहैबिलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (DRIP) फेज-2 एवं फेज-3 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु पूर्व में गठित State Level Steering Committee (SLSC) में संशोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2894/प्र0अ0/ड्रिप/SPMU/SLSC, दिनांक 04 अगस्त, 2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार श्री राज्यपाल महोदय State Level Steering Committee (SLSC) को निम्नवत संशोधित गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

1	प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	अध्यक्ष
2	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
3	प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
5	मुख्य अभियन्ता, स्तर I (परि० एवं शोध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
6	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (तकनीकी सलाहाकार-बांध सुरक्षा), लखनऊ	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ	सदस्य
8	वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
9	मुख्य अभियन्ता (परिकल्प), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

10	मुख्य अभियन्ता, राज्य बॉंध सुरक्षा संगठन एवं नोडल अधिकारी, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ	सदस्य
11	मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, वाराणसी	सदस्य
12	मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, गोण्डा	सदस्य
13	मुख्य अभियन्ता (बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, झाँसी	सदस्य
14	मुख्य अभियन्ता (बेतवा परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, झाँसी	सदस्य
15	मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली	सदस्य
16	मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद	सदस्य
17	मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
18	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
19	परियोजना निदेशक (प्रशासनिक विभाग), एस0पी0एम0यू0, लखनऊ	संयोजक

डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया
विशेष सचिव।

संख्या-515/2025/1165 (1)/25-27-सिं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त समिति में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. Dy Director, FE&SA Dte ., CPMU-DRIP, CWC (HQ),जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-1-20044/1/2021/FESA DTE. दिनांक 20.06.2022 के क्रम में।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सी०एम०डी०, जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (परि एवं शोध) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (तकनीकी सलाहाकार-बांध सुरक्षा), लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता, राज्य बॉंध सुरक्षा संगठन एवं नोडल अधिकारी, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता (परिकल्प), सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15.मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16.मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
17.मुख्य अभियन्ता (सोन), (वाराणसी/(बेतवा), झांसी (बेतवा परियोजना), झांसी(पूर्वी गंगा), मुरादाबाद/(शारदा), बरेली (सरयूं परियोजना-2), गोण्डा।
18. परियोजना निदेशक (प्रशासनिक विभाग), एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
19. मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उ०प्र०, लखनऊ।
20. गार्ड फाईल।

रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।